न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 3811–पीबीआर / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–11–2014 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 09 / 2013–14 स्वमेव निगरानी

....

रंजन पाठक पुत्र स्व0श्री निर्णयदास पाठक,
निवासी 101 कबीर मेंशन पिछाडी डयोडी,
दर्जीओली, लश्कर, ग्वालियर.

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन

.... अनावेदक

....

श्री एल.एस.धाकड़, अभिभाषक–आवेदक
श्री एच.के.अग्रवाल, पेनल अभिभाषक–अनावेदक शासन

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 01/07/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि श्रीमती अर्चना पाठक पत्नी श्री चन्द्रशेखर पाठक द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कोटा, लश्कर स्थित भूमि सर्वे कमांक 2544 / 1, सर्वे कमांक 2544 / 2, सर्वे कमांक 2545, सर्वे कमांक 2546 मिन–1, 2546 / मिन–2 कुल 13 विस्वे पर आवेदक रंजन पाठक द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 15–7–2010 को नामान्तरण करा लिया गया है, अतः उक्त नामान्तरण

निरस्त किया जाये । कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 154/2013–14/बी–121 दर्ज कर तहसीलदार से विस्तृत जॉच कर प्रतिवेदन मॉगा गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–8–14 को विस्तृत जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 134/2009–10/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 15–7–10 में गंभीर अनियमितताऐं हैं, इसलिये उक्त प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाये। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण क्रमांक 09/2013–14/स्वमेव निगरानी पर दर्ज करते हुये आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया । आवेदक द्वारा सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई की जाकर दिनांक 5–11–14 को आदेश पारित करते हुये तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 134/2009–10/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 15–7–10 निरस्त किया गया, साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि आवेदक विधिअनुसार प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व एवं उत्तराधिकार के संबंध में सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के पश्चात् नामान्तरण संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है । कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित इसी आदेश दिनांक 5–11–14 से व्यथित होकर आवेदक की ओर से यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क में बताया गया कि तहसीलदार द्वारा गुरू–चेला के स्थान पर पुत्र त्रुटिवश लिख दिया गया है, जबकि आवेदक के पक्ष में विधिवत नामान्तरण हुआ है । यह भी कहा गया कि नामान्तरण में किसी के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । तर्क में यह भी बताया गया कि कलेक्टर के समक्ष श्रीमती अर्चना पाठक द्वारा फर्जी नामान्तरण संबंधी शिकायत की गई, अतः आवेदक द्वारा शिकायतकर्ता के विरूद्ध दिनांक 30–10–14 को एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है, इस आधार पर कहा गया कि अर्चना पाठक द्वारा दबाव बनाने के लिये झूठी शिकायत की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा त्रुटिवश आवेदक के पिता

निर्णयदास के नाम के स्थान पर गुरू दयाल दास लिख दिया गया है इसलिये भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है । तर्क में यह भी कहा गया कि स्टेट के समय से ही मंहत एवं गुरू के पक्ष में नामान्तरण होते रहे हैं और पिता–पुत्र को ही चेला बनाया जाता रहा है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी वैध उत्तराधिकारी माना गया है । अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–11–14 निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–10 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् इश्तिहार का प्रकाशन नहीं किया गया है और न ही साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, अतः कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का स्वत्व है तो उसे व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण कराना चाहिये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का काई आधार इस निगरानी में नहीं है । अतः उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक ने सर्वे कमांक 2544/1, 2544/2, 2545, 2546 मिन–1 एवं 2546 मिन–2 की रकवा 0.010 हेक्टर, 0.021 हेक्टर, 0.010 हेक्टर, 0.021 हेक्टर, 0.010 हेक्टर एवं 0.05 हेक्टर पर निर्णयदास के स्थान पर फौती नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार द्वारा इश्तिहार जारी करने पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से दिनांक 15–7–2010 से फौती नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, तत्पश्चात् अर्चना पाठक द्वारा कलेक्टर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया है कि निर्णयदास पुत्र दयालदास बैरागी की कोई संतान नहीं थी और न ही उनका कोई वारिस है । आवेदक द्वारा स्वयं को निर्णयदास का पुत्र बताकर नामान्तरण करा लिया गया है, अतः नामान्तरण निरस्त किया जाये । कलेक्टर द्वारा जॉच हेतु प्रकरण तहसीलदार को भेजा गया और तहसीलदार द्वारा जॉच उपरांत प्रतिवेदन दिनांक 25–8–14 को कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि सम्बत् 2007 के खसरे में प्रश्नाधीन भूमि मंहत निर्णयदास गुरू बाबा गुरू दयाल जाति बैरागी अंकित है । वर्तमान में खसरे के कॉलम नम्बर 3 में निर्णयदास पुत्र दयालदास जाति बैरागी अंकित है । नामान्तरण प्रकरण में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक का नाम आचार्य निर्णयदास पुत्र हरिदास पाठक अंकित है । इस प्रकार खसरे में अंकित बल्दियत एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित पिता के नाम में भिन्नता है, खसरे में जाति बैरागी लिखी हुई है जबकि आवेदक द्वारा अपनी जाति पाठक बताई जा रही है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–2010 को स्वमेव निगरानी में लिया जाये, तदोपरांत कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/13–14/स्व.निग. में दर्ज कर आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया । कलेक्टर द्वारा विधिवत् आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर वैधानिक प्रावधानों की विस्तार से विवेचना करते हुये स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि राजस्व अभिलेख में सम्वत् 2060 के खसरे में मंहत निर्णयदास पुत्र गुरू दयाल दास बैरागी के स्थान पर मंहत निर्णयदास पुत्र दयाल दास दर्ज कर दिया गया है। यदि उक्त खसरे में त्रुटिवश प्रविष्टि होना मान भी लिया जाये, तब इसके संबंध में आवेदक को सक्षम न्यायालय से उचित आदेश प्राप्त करना चाहिये था, तत्पश्चात् ही नामान्तरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना विधि अनुरूप होता । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक को तत्समय अभिलेख में इंद्राज की जानकारी थी, परन्तु उसके द्वारा उक्त तथ्य तहसील न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाये जाने के कारण तहसीलदार द्वारा फौती नामान्तरण आदेश जारी किया गया है। जहॉ तक गुरू–शिष्य या मंहत परम्परा के अन्तर्गत ब्राहम्ण जाति के लोगों द्वारा अपने नाम के साथ बैरागी लिखा जाता है एवं गुरू–शिष्य के पद या गद्दी के

हस्तान्तरण संबंधी तर्क है, उक्त बिन्दु का निराकरण व्यवहार न्यायालय में उत्तराधिकार संबंधी वाद प्रस्तुत करने से ही संभव हो सकेगा । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 15–7–2010 निरस्त कर आवेदक को निर्देश देने में, कि विधि अनुसार प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व एवं उत्तराधिकार के संबंध में सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के पश्चात् नामान्तरण संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये आवेदक स्वतंत्र है, पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त चूँकि तहसील न्यायालय द्वारा गुरू–चेला एवं पिता–पुत्र दोनों के आधार पर नामान्तरण किया गया है जो कि स्पष्टतः सन्देहास्पद है, इस कारण भी तहसीलदार का आदेश अवैधानिक था, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के पिता निर्णयदास के स्थान पर गुरू दयाल दास लिख दिया है, इसलिये भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है, कारण जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि यदि खसरे में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की, तब आवेदक को तत्समय सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना थी। उनका यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है स्टेट के समय से ही मंहत एवं गुरू के पक्ष में ही नामान्तरण होते रहे है और पिता–पुत्र को ही चेला बनाते रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है कि स्वर्गीय निर्णयदास ने आवेदक के चेला बनाया गया है । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–11–2014 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर